हैदराबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974

(1974 का अधिनियम संख्यांक 39)

[3 सितम्बर, 1974]

आन्ध्र प्रदेश में शैक्षणिक विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन करने के लिए और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हैदराबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में और इसके अधीन बनाए गए सभी परिनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "विद्या परिषद्" से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यापक कर्मचारिवृन्द" से ऐसे प्रवर्ग के कर्मचारिवृन्द अभिप्रेत हैं, जो अध्यादेशों द्वारा अध्यापक कर्मचारिवृन्द अभिहित किए जाएं;

(ग) "अध्ययन बोर्ड" से विश्वविद्यालय का अध्ययन बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) "कुलाधिपति", "कुलपति" और "प्रतिकुलपति" से क्रमश: विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति और प्रतिकुलपति अभिप्रेत हैं;

(ङ) "महाविद्यालय" से विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जाने वाला महाविद्यालय अभिप्रेत है;

(च) "सभा" से विश्वविद्यालय की सभा अभिप्रेत है;

(छ) "विभाग" से अध्ययन का विभाग अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्ययन केन्द्र भी हैं ;

(ज) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के शिक्षक और अन्य कर्मचारिवृन्द भी हैं;

(झ) "कार्य परिषद्" से विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् अभिप्रेत है;

(ञ) "छात्र-निवास" से विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था के छात्रों के निवास या सामूहिक जीवन के लिए ऐसी इकाई अभिप्रेत है, जिसकी व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा की गई है, जो उसके द्वारा चलाई गई है या उसके द्वारा मान्यताप्राप्त है;

(ट) "संस्था" से विश्वविद्यालय द्वारा चलाई गई ऐसी अध्यापन संस्था अभिप्रेत है, जो महाविद्यालय नहीं है;

(ठ) "प्राचार्य" से किसी महाविद्यालय या किसी संस्था का प्रधान अभिप्रेत है;

(ड) "मान्यताप्राप्त संस्था" से उच्चतर विद्या की ऐसी संस्था अभिप्रेत है जिसे विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त है;

(ढ) "मान्यताप्राप्त शिक्षक" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो किसी मान्यताप्राप्त संस्था में या विश्वविद्यालय से सहयुक्त संस्था में काम करते हैं और जो शिक्षा देने या अनुसंधान का संचालन करने या दोनों के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त हैं;

(ण) "विद्यापीठ" से विश्वविद्यालय में अध्ययन का विद्यापीठ अभिप्रेत है;

(त) "परिनियम", "अध्यादेश" और "विनियम" से क्रमश: तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं;

(थ) "विश्वविद्यालय के शिक्षक" से आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक और ऐसे अन्य व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जो विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले किसी महाविद्यालय या संस्था में शिक्षा देने या अनुसंधान का संचालन करने के लिए नियुक्त किए जाएं और अध्यादेशों द्वारा शिक्षक के रूप में अभिहित किए जाएं;

(द) "विश्वविद्यालय" से हैदराबाद विश्वविद्यालय अभिप्रेत है ।

3. विश्वविद्यालय—(1) आन्ध्र प्रदेश राज्य में "हैदराबाद विश्वविद्यालय" के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा ।

(2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय हैदराबाद में होगा और वह अपनी अधिकारिता के भीतर ऐसे अन्य स्थानों पर, जैसा वह ठीक समझे, विश्वविद्यालय निवेश स्थापित कर सकता है ।

(3) विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति और प्रथम कुलपति तथा सभा, कार्य परिषद् और विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य और वे सभी व्यक्ति, जो आगे चलकर ऐसे अधिकारी या सदस्य बनें, जब तक वे ऐसे अधिकारी या सदस्य बने रहें, इसके द्वारा "हैदराबाद विश्वविद्यालय" के नाम से निगमित निकाय के रूप में गठित किए जाते हैं ।

(4) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह बाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

4. उद्देश्य—विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में, जो वह ठीक समझे, शिक्षा और अनुसंधान की सुविधा प्रदान करके और अपने सामूहिक जीवन के उदाहरण द्वारा ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि करना और विशिष्टतया, विश्वविद्यालय के शिक्षा कार्यक्रम में मानविकी एवं विज्ञान के समाकलित पाठ्यक्रमों के लिए, विशेष व्यवस्था करना और विश्वविद्यालय में अन्त:शास्त्रीय विषयों के अध्ययन और अनुसंधान के उन्नयन के लिए समुचित उपाय करना होगा ।

5. विश्वविद्यालय की शक्तियां—विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

(1) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जो विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षा देने की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिए और ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार के लिए व्यवस्था करना;

(2) ऐसी शर्तों के अधीन, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य प्रणाली के आधार पर व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाणपत्र देना और उन्हें उपाधियां और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताएं प्रदान करना तथा उचित और पर्याप्त कारण होने पर ऐसे डिप्लोमा, प्रमाणपत्र, उपाधि या अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताओं को वापस लेना;

(3) निवेश बाह्य अध्यापन और विस्तारी सेवाओं का संगठन और उपक्रम करना;

(4) परिनियमों द्वारा विहित रीति में सम्मानिक उपाधियां या अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(5) उन व्यक्तियों के लिए जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं हैं, शिक्षण की, जिसके अन्तर्गत पत्राचार और ऐसे ही अन्य पाठ्यक्रम भी हैं, ऐसी व्यवस्था करना जो विश्वविद्यालय अवधारित करे;

(6) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित प्राचार्य, आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक और अन्य शैक्षणिक या अध्यापन पद संस्थित करना और ऐसे प्राचार्य, आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक या अन्य पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;

(7) उच्चतर विद्या की संस्था को ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे, मान्यता प्रदान करना और ऐसी मान्यता को वापस लेना;

(8) किसी मान्यताप्राप्त संस्था में या विश्वविद्यालय से सहयुक्त किसी संस्था में काम करने वाले व्यक्तियों को शिक्षा देने या अनुसंधान का अधीक्षण करने या दोनों के लिए मान्यता प्रदान करना और ऐसी मान्यता वापस लेना;

(9) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्त करना;

(10) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(11) किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकारी या उच्चतर विद्या की संस्था के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार या सहयोग करना या सहयुक्त होना;

(12) ऐसे निवेश, विशेष केन्द्र, विशेषित प्रयोगशालाएं या अनुसंधान और शिक्षण के लिए अन्य इकाइयां स्थापित करना, जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हों;

(13) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, पदक और पुरस्कार संस्थित करना और देना;

(14) महाविद्यालय, संस्था और छात्रनिवास स्थापित करना और चलाना;

(15) अनुसंधान और सलाहकारी सेवाओं के लिए व्यवस्था करना और अन्य संस्थाओं या निकायों से उस प्रयोजन के लिए ऐसे ठहराव करना जिन्हें विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(16) किसी महाविद्यालय, संस्था या विभाग को, यथास्थिति, स्वायत्त महाविद्यालय या संस्था या विभाग घोषित करना;

(17) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए स्तरमान अवधारित करना, जिसके अन्तर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य रीति भी है;

(18) फीसों और अन्य प्रभारों की मांग करना और उन्हें प्राप्त करना;

(19) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवास का पर्यवेक्षण करना और उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रबन्ध करना;

(20) छात्राओं के सम्बन्ध में ऐसे विशेष प्रबन्ध करना जो विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;

(21) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों में अनुशासन का विनियमन करना और उनके द्वारा अनुशासन का पालन कराना तथा इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासन सम्बन्धी उपाय करना जो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझे जाएं;

(22) कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रबन्ध करना;

(23) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए दान प्राप्त करना और किसी स्थावर या जंगम सम्पत्ति को, जिसके अन्तर्गत न्यास और विन्यास सम्पत्ति भी है, अर्जित करना, धारण करना तथा उसका प्रबन्ध और व्ययन करना;

(24) केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए धन उधार लेना;

(25) ऐसे सभी अन्य कार्य और बातें करना, जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

6. अधिकारिता—(1) विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण आन्ध्र प्रदेश राज्य पर होगा।

(2) आन्ध्र प्रदेश राज्य में किसी अन्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त या उसके द्वारा चलाई गई किसी संस्था को हैदराबाद विश्वविद्यालय द्वारा किसी प्रयोजन के लिए मान्यता, आन्ध्र प्रदेश राज्य की सरकार और सम्बन्धित विश्वविद्यालय के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं प्रदान की जाएगी।

7. विश्वविद्यालय का सभी वर्गों, जातियों और पंथों के लिए खुला होना—विश्वविद्यालय सभी स्त्रियों और पुरुषों के लिए खुला होगा चाहे वे किसी भी मूलवंश, पंथ, जाति या वर्ग के हों, और विश्वविद्यालय के लिए उसमें किसी व्यक्ति को शिक्षक या छात्र के रूप में प्रवेश प्राप्त करने या उसमें कोई पद धारण करने या उसमें उपाधि प्राप्त करने या उसके किसी विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने का हकदार बनाने के लिए कोई भी धार्मिक विश्वास या मान्यता का मानदंड अपनाया या उस पर अधिरोपित करना विधिपूर्ण नहीं होगा :

परंतु इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय को जनता के कमजोर वर्ग और विशिष्टतया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के प्रवेश के लिए विशेष उपबन्ध बनाने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी।

8. कुलाध्यक्ष—(1) भारत का राष्ट्रपति विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा।

(2) कुलाध्यक्ष को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें वह निदेश दे, विश्वविद्यालय, उसके भवन, प्रयोगशालाओं और उपस्करों का और विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले किसी महाविद्यालय या संस्था का और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या की गई परीक्षाओं, शिक्षण और अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराने का और विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था के प्रशासन या वित्त से सम्बन्धित किसी मामले की बाबत इसी रीति से जांच कराने का अधिकार होगा।

(3) कुलाध्यक्ष, प्रत्येक दशा में, निरीक्षण या जांच करने के अपने आशय की सूचना विश्वविद्यालय को देगा और ऐसी सूचना की प्राप्ति पर विश्वविद्यालय को कुलाध्यक्ष से ऐसे अभ्यावेदन करने का अधिकार होगा जो वह आवश्यक समझे।

(4) विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात्, कुलाध्यक्ष ऐसा निरीक्षण या जांच करा सकेगा जिसके प्रति, उपधारा (2) निर्देश किया गया है।

(5) जहां कुलाध्यक्ष द्वारा कोई निरीक्षण या जांच कराई जाती है वहां, विश्वविद्यालय एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच में उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार होगा।

(6) यदि निरीक्षण या जांच, विश्वविद्यालय या उसके द्वारा चलाए जाने वाले किसी महाविद्यालय या संस्था के संबंध में है, तो कुलाध्यक्ष, ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संदर्भ में कुलपति को सम्बोधित कर सकता है और कुलपति कार्य परिषद् को कुलाध्यक्ष के विचार ऐसी सलाह के साथ संसूचित करेगा जो कुलाध्यक्ष उस पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में दे।

(7) कार्य परिषद्, कुलपति के माध्यम से कुलाध्यक्ष को वह कार्यवाही, यदि कोई हो, संसूचित करेगी जिसे वह निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप करने की प्रस्थापना करता है या की गई है।

(8) जहां कार्य परिषद्, कुलाध्यक्ष के समाधानप्रद रूप में कोई कार्रवाई, उचित समय के भीतर नहीं करती है वहां कुलाध्यक्ष कार्य परिषद् द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण या किए गए अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो वह ठीक समझे और कार्य परिषद् ऐसे निदेशों का पालन करेगी।

(9) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाध्यक्ष विश्वविद्यालय की ऐसी कार्यवाही को, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप न हों, लिखित आदेश द्वारा निष्प्रभाव कर सकता है:

परन्तु ऐसा आदेश करने के पहले वह विश्वविद्यालय को इस बात का कारण दर्शित करने के लिए कहेगा कि क्यों ऐसा आदेश न किया जाए, और यदि उचित समय के भीतर कोई कारण दर्शित किया जाता है, तो वह उस पर विचार करेगा।

(10) कुलाध्यक्ष को अन्य ऐसी शक्तियां होंगी जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

9. मुख्य कुलाधिसचिव—आन्ध्र प्रदेश राज्य का राज्यपाल विश्वविद्यालय का मुख्य कुलाधिसचिव होगा।

10 विश्वविद्यालय के अधिकारी—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :—

(1) कुलाधिपति;

(2) कुलपति;

(3) प्रतिकुलपति या यदि एक से अधिक प्रतिकुलपति नियुक्त किए जाते हैं तो वे प्रतिकुलपति;

(4) विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष;

(5) कुलसचिव;

(6) वित्त अधिकारी; और

(7) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं।

11. कुलाधिपति—(1) कुलाधिपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(2) कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा।

(3) यदि कुलाधिपति उपस्थित हो तो उपाधियां प्रदान करने के लिए किए जाने वाले विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

12. कुलपति—(1) कुलपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और अध्यापन अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण अधीक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा।

(3) यदि कुलपति की राय है कि किसी मामले में तुरन्त कार्रवाई आवश्यक है तो वह किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त है और अपने द्वारा उस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उस प्राधिकारी को देगा :

परन्तु यदि संबंधित प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी तो वह कुलाध्यक्ष को वह मामला निर्देशित कर सकेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कुलपति द्वारा इस उपधारा के अधीन की गई कार्यवाही से व्यथित है, यह अधिकार होगा कि जिस तारीख को ऐसी कार्यवाही का विनिश्चय उसे संसूचित किया जाता है उससे तीन मास के भीतर, वह उस कार्यवाही के विरुद्ध अपील कार्य परिषद् से करे और तब कार्य परिषद् कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही को पुष्ट या उपान्तरित कर सकेगी या उसे उलट सकेगी।

(4) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

13. प्रतिकुलपति—प्रतिकुलपति की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

14. विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष—प्रत्येक विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

15. कुलसचिव—(1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(2) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने या दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह अन्य ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा अन्य ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

16. वित्त अधिकारी—वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

17. अन्य अधिकारी—विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी शक्तियां और कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

18. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :—

(1) सभा;

(2) कार्य परिषद्;

(3) विद्या परिषद्;

(4) विद्यापीठों के बोर्ड; और

(5) अन्य ऐसे प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए जाएं ।

19. सभा—(1) सभा का गठन तथा उसके सदस्यों की पदावधि परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी ।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभा की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय की सामान्य नीतियों और कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा करना तथा विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के उपायों के सुझाव देना;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं पर तथा ऐसे लेखाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना;

(ग) कुलाध्यक्ष को किसी ऐसे मामले में सलाह देना जो उसे सलाह के लिए निर्देशित किया जाए; और

(घ) अन्य ऐसे कृत्यों का पालन करना जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

20. कार्य परिषद्—(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगी ।

(2) कार्य परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

21. विद्या परिषद्—(1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय करेगी और उन पर साधारण पर्यवेक्षण रखेगी ।

(2) विद्या परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

22. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी—विद्यापीठ के बोर्ड और ऐसे अन्य प्राधिकारियों का, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए जाएं, गठन, शक्ति और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

23. योजना बोर्ड—(1) विश्वविद्यालय का एक योजना बोर्ड गठित किया जाएगा जो विश्वविद्यालय की योजना और विकास पर साधारण या सलाह देगा और विश्वविद्यालय में शिक्षा और अनुसंधान के स्तर की समीक्षा करता रहेगा ।

(2) योजना बोर्ड का गठन और उसके सदस्यों की नियुक्ति की रीति परिनियमों द्वारा विहित की जाएंगी ।

(3) कुलाध्यक्ष वह तारीख अवधारित करेगा जिस तारीख से योजना बोर्ड विघटित हो जाएगा ।

24. परिनियम—इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियम निम्नलिखित सभी विषयों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकते हैं, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और अन्य निकायों का, जो समय-समय पर गठित किए जाएं, गठन, शक्तियां और कृत्य;

(ख) उक्त प्राधिकारियों और निकायों के सदस्यों का निर्वाचन और पदों पर बने रहना, सदस्य पदों की रिक्तियों का भरा जाना तथा उन प्राधिकारियों और अन्य निकायों से सम्बन्धित अन्य सब विषय जिनके लिए उपबन्ध करना आवश्यक या वांछनीय हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य और उनकी उपलब्धियां और सेवा के अन्य निबन्धन तथा शर्तें;

(घ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों और अन्य अध्यापक कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति और उसकी उपलब्धियां और सेवा के अन्य निबन्धन तथा शर्तें;

(ङ) किसी संयुक्त परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए, किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन के काम करने वाले शिक्षकों और अन्य अध्यापक कर्मचारिवृन्द की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्ति;

(च) कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, जिनके अंतर्गत पेंशन, बीमा, भविष्य-निधि का उपबन्ध, सेवा समाप्ति और अनुशासनिक कार्रवाई की रीति भी है;

(छ) कर्मचारियों की सेवा में ज्येष्ठता को लागू होने वाले सिद्धांत;

(ज) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच विवाद के मामलों में माध्यस्थम् की प्रक्रिया;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के कार्य के विरुद्ध कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद् को अपील की प्रक्रिया;

(ञ) छात्र संघ की अथवा शिक्षकों, अध्यापन कर्मचारिवृन्द या अन्य कर्मचारियों के संगमों की स्थापना और उन्हें मान्यता प्रदान करना;

(ट) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों में छात्रों का भाग लेना;

(ठ) सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ड) उपाधियां, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं का वापस लिया जाना;

(ढ) अध्योतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, पदक और पुरस्कारों का संस्थित किया जाना;

(ण) छात्रों में अनुशासन बनाए रखना;

(त) विद्यापीठों, विभागों, छात्रनिवासों, महाविद्यालयों और संस्थाओं की स्थापना और समाप्ति;

(थ) महाविद्यालय, संस्था या विभाग को किस विस्तार तक स्वायत्तता मिल सकती है और किन विषयों के सम्बन्धों में ऐसी स्वायत्तता का प्रयोग किया जा सकता है;

(द) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन; और

(ध) सभी अन्य विषय जो इस अधिनियम के अनुसार परिनियमों द्वारा उपबन्धित किए जाने हैं या किए जा सकते हैं।

25. परिनियम कैसे बनाए जाएंगे—(1) प्रथम परिनियम वे हैं जो अनुसूची में दिए गए हैं।

(2) कार्य परिषद्, समय-समय पर नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकती है या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियम को संशोधित या निरसित कर सकती है :

परन्तु कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन पर प्रभाव डालने वाले कोई परिनियम तब तक न तो बनाएगी और न उसमें संशोधन करेगी और न उसको निरसित करेगी जब तक उस प्राधिकारी को प्रस्थापित परिवर्तन पर लिखित रूप में अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त राय पर कार्य परिषद् विचार करेगी।

(3) प्रत्येक नए परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या संशोधन या उसके निरसन के लिए कुलाध्यक्ष के अनुमोदन की अपेक्षा होगी जो उस पर अनुमति दे सकेगा या अनुमति विधारित कर सकेगा या उसके कार्य परिषद् के विचारार्थ वापस भेज सकेगा।

(4) कोई नया परिनियम या विद्यमान परिनियम का संशोधन या निरसन करने वाला परिनियम तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक उस पर कुलाध्यक्ष ने अनुमति न दे दी हो।

(5) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक बाद की तीन वर्ष की अवधि के दौरान कुलाध्यक्ष नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकता है या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों को संशोधित या निरसित कर सकता है :

परन्तु कुलाध्यक्ष, तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति पर ऐसे विस्तृत परिनियम, जो वह आवश्यक समझे, ऐसी समाप्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर बना सकता है और ऐसे विस्तृत परिनियम संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाएंगे।

26. अध्यादेश—(1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यादेश निम्नलिखित सभी विषयों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकते हैं, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नाम दर्ज किया जाना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के लिए नियत किए जाने वाले पाठ्यक्रम;

(ग) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं का प्रदान किया जाना, उनके लिए अर्हताएं और उन्हें प्रदान करने और प्राप्त करने के बारे में किए जाने वाले उपाय;

(घ) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के लिए और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमाओं के लिए ली जाने वाली फीस;

(ङ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें;

(च) परीक्षाओं का संचालन, जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और उनके कर्तव्य भी हैं;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें ;

(ज) छात्राओं के निवास, अनुशासन और शिक्षण के लिए किए जाने वाले विशेष प्रबन्ध, यदि कोई हों, और उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम विहित करना;

(झ) जिन कर्मचारियों के लिए परिनियमों में उपबन्ध किया गया है उनसे भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और उपलब्धियां ;

(ञ) अध्ययन केन्द्र, अध्ययन बोर्ड, विशेष केन्द्र, विशेषित प्रयोगशालाएं और अन्य समितियों की स्थापना;

(ट) वे निबन्धन और शर्तें जिन पर उच्चतर विद्या की संस्थाओं को मान्यता प्रदान की जाए और मान्यता का वापस लिया जाना;

(ठ) वे निबन्धन और शर्तें जिन पर किसी मान्यताप्राप्त संस्था में या विश्वविद्यालय से सहयुक्त किसी संस्था में काम करने वाले व्यक्तियों को शिक्षकों के रूप में मान्यता प्रदान की जाए और ऐसी मान्यता का वापस लिया जाना;

(ड) अन्य विश्वविद्यालयों, प्राधिकारियों या उच्चतर विद्या की संस्थाओं के साथ सहकार या सहयोग करने या सहयुक्त होने की रीति;

(ढ) किसी अन्य ऐसे निकाय का, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार करने के लिए आवश्यक समझा जाए, सृजन, उसकी संरचना और उसके कृत्य;

(ण) शिक्षकों और अन्य अध्यापक कर्मचारिवृन्द की सेवा के अन्य ऐसे निबन्धन और शर्तें जो परिनियमों द्वारा विहित न हों;

(त) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित महाविद्यालयों और संस्थाओं का प्रबन्ध; और

(थ) सभी अन्य विषय जो इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित किए जा सकते हैं।

(2) प्रथम अध्यादेश केन्द्रीस सरकार के पूर्व अनुमोदन से कुलपति द्वारा बनाए जाएंगे और इस प्रकार बनाए गए अध्यादेश परिनियमों द्वारा विहित रीति से कार्य परिषद् द्वारा किसी भी समय संशोधित, निरसित या परिवर्धित किए जा सकते हैं।

27. विनियम—[1][(1)] विश्वविद्यालय के प्राधिकारी स्वयं अपने और अपने द्वारा नियुक्त की गई समितियों के कार्य संचालन के लिए, जिसका इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध न किया गया हो, परिनियमों द्वारा विहित रीति से ऐसे विनियम बना सकेंगे, जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत हों।

[1][(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस परिनियम, अध्यादेश या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि वह परिनियम, अध्यादेश या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा परिनियम अध्यादेश या विनियम, यथास्थिति, तत्पश्चात्

[1] 2005 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा धारा 27 को उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया और उपधारा (2) और उपधारा (3) अन्त:स्थापित की गई।

केवल ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, उस परिनियम, अध्यादेश या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।]

28. वार्षिक रिपोर्ट—(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद् के निदेशन में तैयार की जाएगी तथा सभा को उस तारीख को या उसके पश्चात् भेजी जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए, और सभा अपने वार्षिक अधिवेशन में उस रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(2) सभा अपनी टीका-टिप्पणी सहित, यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट कुलाध्यक्ष को भेजेगी।

[1][(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिर्पोट की एक प्रति, केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी जो, उसे यथाशीघ्र संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।]

29. वार्षिक लेखे—(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र कार्य परिषद् के निदेशन में तैयार किए जाएंगे और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा उनकी लेखा परीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अन्तराल पर की जाएगी।

(2) लेखा परीक्षा हो जाने पर वार्षिक लेखे राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे, और लेखाओं की एक प्रति, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट और कार्य परिषद् द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के साथ सभा और कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत कीजाएगी।

(3) वार्षिक लेखाओं पर कुलाध्यक्ष द्वारा व्यक्त किए गए विचार सभा के ध्यान में लाए जाएंगे और यदि सभा कोई विचार व्यक्त करती है तो उन पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किए जाने के पश्चात् वे कुलाध्यक्ष को भेजे जाएंगे।

(4) लेखाओं की एक प्रति, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की उस रिपोर्ट के साथ, जो कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत की गई है, केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी जो यथाशक्यशीघ्र उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखावाएगी।

30. कर्मचारियों की सेवा की शर्तें—(1) प्रत्येक कर्मचारी लिखित संविदा से नियुक्त किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जाएगी और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच किसी संविदा से पैदा होने वाला विवाद, सम्बन्धित कर्मचारी के अनुरोध पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्देशित किया जाएगा, जिसमें कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होगा। अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा और अधिकरण द्वारा विनिश्चित मामलों की बाबत सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जाएगा। ऐसा प्रत्येक अनुरोध भारतीय माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 (1940 का 2) के अर्थान्तर्गत इस धारा के निबन्धनों पर माध्यस्थम् के लिए निवेदन समझा जाएगा।

31. छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील और माध्यस्थम् की प्रक्रिया—(1) कोई छात्र या परीक्षार्थी, जिसका नाम विश्वविद्यालय की नामावली से, यथास्थिति, कुलपति, अनुशासन समिति या परीक्षा समिति के आदेशों या संकल्पों द्वारा हटाया गया है और जिसे विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने से एक वर्ष से अधिक के लिए विवर्जित किया गया है, ऐसे आदेशों की या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर, कार्य परिषद् को अपील कर सकेगा और कार्य परिषद्, यथास्थिति, कुलपति या समिति के विनिश्चय को पुष्ट या उपान्तरित कर सकेगी या उलट सकेगी।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा किसी छात्र के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही से पैदा होने वाला कोई भी विवाद उस छात्र के अनुरोध पर माध्यस्थम् अधिकरण को निर्देशित किया जाएगा और धारा 30 की उपधारा (2) के उपबन्ध इस उपधारा के अधीन किए गए निर्देश को यथाशक्य लागू होंगे।

32. अपील करने का अधिकार—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध ऐसे समय के भीतर, जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाए, कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तब कार्य परिषद्, उस विनिश्चय को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट या उपांतरित कर सकेगी या उलट सकेगी।

33. भविष्य और पेंशन निधियां—(1) विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, ऐसी भविष्य और पेंशन निधियां स्थापित करेगा या ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा, जो वह ठीक समझे।

(2) जहां ऐसी भविष्य या पेंशन निधि इस प्रकार स्थापित की गई है वहां केन्द्रीय सरकार यह घोषित कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) के उपबंध ऐसी निधि को इस प्रकार लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो।

---

[1] 2008 के अधिनियम सं० 25 की धारा 10 द्वारा अंत:स्थापित।

34. विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद—यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या अमुक व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त हुआ है या उसका सदस्य होने का हकदार है तो वह विषय कुलाध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा ।

35. समितियों का गठन—जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को समितियां नियुक्त करने की शक्ति इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा दी गई है, वहां जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, ऐसी समितियां, सम्बन्धित प्राधिकारी के सदस्यों और ऐसे अन्य व्यक्तियों से (यदि कोई हों), जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक दशा में ठीक समझे, मिल कर बनेंगी ।

36. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों में सब आकस्मिक रिक्तियां यथाशीघ्र सुविधानुसार ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जाएंगी जिसने उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया था और आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा, जिसके दौरान वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य रहता ।

37. विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और निकायों की कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य न होना—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां होने के कारण से ही अविधिमान्य न होगी ।

38. सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण—कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित है, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध न होगी ।

39. विश्वविद्यालय के अभिलेख को साबित करने का ढंग—भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवृत्त, संकल्प या अन्य दस्तावेज की, जो विश्वविद्यालय के कब्जे में हो, या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से रखे गए किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित कर दी जाने पर उस दशा में जिसमें उसकी मूल प्रति पेश की जाने पर साक्ष्य में ग्राह्य होती, उस रसीद, आवेदन, सूचना, कार्यवृत्त, संकल्प या दस्तावेज के या रजिस्टर की प्रविष्टि के अस्तित्व के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ले ली जाएगी, और उसमें के मामलों और संव्यवहारों के साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएगी ।

40. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

41. संक्रमणकालीन उपबन्ध—इस अधिनियम और परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी—

(क) प्रथम कुलाधिपति और प्रथम कुलपति कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और उक्त अधिकारियों में से प्रत्येक अधिकारी पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा;

(ख) प्रथम कुलसचिव और प्रथम वित्त अधिकारी कुलाध्याक्ष द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और उक्त अधिकारियों में से प्रत्येक अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा;

(ग) प्रथम सभा और प्रथम कार्य परिषद् में क्रमश: तीस और ग्यारह से अनधिक सदस्य होंगे, जो कुलाध्यक्ष द्वारा नामर्दिष्ट किए जाएंगे और तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे;

(घ) विद्या परिषद् में इक्कीस से अनधिक सदस्य होंगे, जो कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे तथा तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे :

परन्तु यदि उपर्युक्त पदों या प्राधिकारियों में कोई रिक्ति होती है तो वह कुलाध्यक्ष द्वारा, यथास्थिति, नियुक्ति या नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी तथा इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति तब तक पद धारण करेगा जब तक वह अधिकारी या सदस्य, जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति की गई है, पद धारण करता यदि ऐसी रिक्ति नहीं होती;

(ङ) प्रथम विद्या परिषद् इस अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि के अवसान पर गठित की जाएगी और उक्त एक वर्ष की अवधि के दौरान विद्या परिषद् की शक्तियों का प्रयोग धारा 23 के अधीन गठित योजना बोर्ड द्वारा किया जाएगा ।

अनुसूची

[धारा 25 (1) देखिए]

विश्वविद्यालय के परिनियम

1. कुलपति—(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा ।

(2) कुलपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधिपर्यन्त पद धारण करेगा :

परन्तु कुलाध्यक्ष यह निदेश दे सकेगा कि जिस कुलपति की पदावधि का अवसान हो चुका है वह कुल मिलाकर एक वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधिपर्यन्त, जो उस निदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, पद पर बना रहेगा ।

(3) खंड (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति अपनी पदावधि या विस्तारित पदावधि के दौरान पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह पद से निवृत्त हो जाएगा ।

(4) कुलपति की उपलब्धियां और सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें निम्नलिखित होंगी :—

(i) कुलपति को तीन हजाए रुपए प्रतिमास वेतन दिया जाएगा और वह अपनी पदावधि के दौरान बिना किराया दिए सुसज्जित निवास-स्थान का हकदार होगा तथा ऐसे निवास-स्थान को बनाए रखने के बारे में स्वयं कुलपति को कोई प्रभार नहीं देना होगा;

(ii) कुलपति ऐसे सेवान्त फायदों और भत्तों का हकदार होगा जो कार्य परिषद् कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से समय-समय पर नियत करे :

परन्तु जहां—

(क) विश्वविद्यालय का कर्मचारी; या

(ख) किसी अन्य विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या उस विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले या उससे सम्बद्ध संस्था का कर्मचारी;

कुलपति नियुक्त किया जाता है वहां उसे ऐसी भविष्य निधि में, जिसका वह अभिदाता है, अभिदाय करने रहने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और विश्वविद्यालय का अभिदाय उतने तक सीमित होगा जितना वह कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति से ठीक पहले अभिदाय करता था;

(iii) कुलपति ऐसी दरों पर यात्रा भत्तों का हकदार होगा जो कार्य परिषद् द्वारा नियत की जाए;

(iv) कुलपति अपनी सक्रिय सेवा की अवधि के ग्यारहवें भाग तक पूरे वेतन पर छुट्टी पाने का हकदार होगा ;

(v) कुलपति अपनी पदावधि के दौरान अस्वस्थता के आधार पर या अन्यथा तीन महीने से अनधिक अवधि के लिए बिना वेतन छुट्टी पाने का भी हकदार होगा :

परन्तु ऐसी छुट्टी उस सीमा तक जिसके लिए वह उपखण्ड (iv) के अधीन हकदार है, पूरे वेतन पर छुट्टी में संपरिवर्तित की जा सकेगी ।

(5) यदि कुलपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या अन्यथा रिक्त हो जाता है अथवा यदि वह अपना कर्तव्य पालन करने में अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से असमर्थ है तो प्रतिकुलपति या यदि एक से अधिक प्रतिकुलपति हों तो उनमें से ज्येष्ठतम प्रतिकुलपति तब तक कुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जब तक, यथास्थिति, नया कुलपति पद ग्रहण न कर ले या वर्तमान कुलपति अपने पद के कर्तव्यों को न संभाल ले :

परन्तु यदि प्रतिकुलपति नहीं है तो ज्येष्ठतम आचार्य कुलपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा ।

2. कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य—(1) कुलपति सभा, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा तथा कुलाधिपति की अनुपस्थिति में उपाधियां प्रदान करने के लिए किए गए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा । कुलपति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने और बोलने का हकदार होगा, किन्तु जब तक वह ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य न हो, उसमें मतदान करने का हकदार न होगा ।

(2) यह देखना कुलपति का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, इन परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों का सम्यक् रूप से पालन किया जाए और ऐसा पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां उसे प्राप्त होंगी ।

(3) कुलपति को सभा, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् और वित्त समिति के अधिवेशन बुलाने या बुलवाने की शक्ति प्राप्त होगी ।

3. प्रतिकुलपति—(1) प्रत्येक प्रतिकुलपति की नियुक्ति कार्य परिषद् द्वारा कुलपति की सिफारिश पर की जाएगी :

परन्तु जहां कुलपति की सिफारिश कार्य परिषद् द्वारा स्वीकार न की जाए, वहां वह मामला कुलाध्यक्ष को निर्देशित किया जाएगा जो या तो कुलपति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्ति को नियुक्त कर करेगा या कुलपति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह कार्य परिषद् से किसी अन्य व्यक्ति के नाम की सिफारिश करे :

परन्तु यह और कि कार्य परिषद् कुलपति की सिफारिश पर किसी आचार्य को आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त प्रतिकुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकेगी ।

(2) प्रतिकुलपति की पदावधि वह होगी जो कार्य परिषद् द्वारा विनिश्चित की जाए किन्तु वह पांच वर्ष से या कुलपति की पदावधि से, इनमें जिसका भी अवसान पहले हो उससे अधिक नहीं होगी और वह पुन: नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु प्रतिकुलपति पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर निवृत्त हो जाएगा :

परन्तु यह और कि जब प्रतिकुलपति परिनियम 1 के खण्ड (5) के अधीन कुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है तब वह कुलपति के रूप में अपनी पदावधि का अवसान हो जाने पर भी तब तक पद बना रहेगा जब तक, यथास्थिति, नया कुलपति या कुलपति पद न संभाल ले :

परन्तु यह भी कि जब कुलपति का पद रिक्त हो जाता है और कुलपति के कृत्यों का पालन करने के लिए कोई प्रतिकुलपति नहीं है तब कार्य परिषद् प्रतिकुलपति नियुक्त कर सकेगी और ज्यों ही कुलपति नियुक्त किया जाता है और अपना पद ग्रहण कर लेता है त्यों ही इस प्रकार से नियुक्त प्रतिकुलपति पद छोड़ देगा ।

(3) प्रतिकुलपति की उपलब्धियां और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं ।

(4) प्रतिकुलपति ऐसे विषयों में, जो कुलपति द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएं, कुलपति की सहायता करेगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन भी करेगा जो कुलपति द्वारा उसे सौंपे या प्रत्यायोजित किए जाएं ।

4. कुलसचिव—(1) कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा ।

(2) कुलसचिव की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें वे होंगी जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं :

परन्तु कुलसचिव साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवा-निवृत्त हो जाएगा :

परन्तु यह और कि कुलसचिव साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त होकर अपना पद ग्रहण न कर ले या एक वर्ष की अवधि न बीत जाए, इनमें से जो भी पहले हो ।

(3) जब कुलसचिव का पद रिक्त है या कुलसचिव अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्य का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति उस प्रयोजनार्थ नियुक्त करे ।

(4) (क) कुलसचिव को विश्वविद्यालय के शिक्षकों और अध्यापक कर्मचारिवृन्द को छोड़कर ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त होगी जो कार्य परिषद् के आदेशों में विनिर्दिष्ट किए जाएं तथा उसे जांच के दौरान उन्हें निलम्बित करने की, उन्हें चेतावनी देने की या उन पर परिनिंदा की या वेतन वृद्धि रोकने की शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति प्राप्त होगी :

परन्तु ऐसी कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक सम्बन्धित व्यक्ति को उसके बारे में की जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर न दे दिया गया हो ।

(ख) उपखंड (क) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने के कुलसचिव के आदेश के विरुद्ध अपील कुलपति को होगी ।

(ग) जब जांच से यह प्रकट हो कि ऐसा दण्ड अपेक्षित है जो कुलसचिव की शक्ति के बाहर है तो कुलसचिव जांच के पूरे होने पर कुलपति को एक रिपोर्ट अपनी सिफारिशों सहित देगा :

परन्तु शास्ति अधिरोपित करने के कुलपति के आदेश के विरुद्ध अपील कार्य परिषद् को होगी ।

(5) कुलसचिव, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् और विद्यापीठ के बोर्डों का पदेन सचिव होगा, किन्तु उनमें से किसी प्राधिकारी का सदस्य नहीं समझा जाएगा । वह सभा का पदेन सदस्य-सचिव होगा ।

(6) कुलसचिव का कर्तव्य होगा कि वह—

(क) विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और अन्य ऐसी संपत्ति, जो कार्य परिषद् उसके भारसाधन में दे, अभिरक्षक हो;

(ख) सभा, कार्य परिषद्, विद्यापीठ के बोर्डों, अध्ययन बोर्डों और परीक्षा बोर्डों के तथा विश्वविद्यालयों के प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किन्हीं समितियों के अधिवेशन बुलाने की सब सूचनाएं निकाले;

(ग) सभा, कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, विद्यापीठ बोर्ड तथा विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किन्हीं समितियों के सब अधिवेशनों के कार्यवृत्त रखे;

(घ) सभा, कार्य परिषद् और विद्या परिषद् के शासकीय पत्र-व्यवहार का संचालन करे;

(ङ) कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के ऐसे अधिवेशनों की कार्य-सूचियों की प्रतियां, जैसे ही वे जारी की जाएं, तथा ऐसे अधिवेशनों के कार्यवृत्त दे;

(च) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करे, मुख्तारनामों पर हस्ताक्षर करे तथा अभिवचनों का सत्यापन करे या इस प्रयोजनार्थ अपना प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करे; तथा

(छ) अन्य ऐसे कर्तव्यों का पालन करे जो इन परिनियमों या अध्यादेशों या विनियमों में विनिर्दिष्ट हों अथवा जिनकी कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाए ।

5. वित्त अधिकारी—(1) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा ।

(2) वित्त अधिकारी की उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं :

परन्तु वित्त अधिकारी साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परन्तु यह और कि वित्त अधिकारी साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त हो कर अपना पद ग्रहण न कर ले या एक वर्ष की अवधि न बीत जाए, इनमें से जो भी पहले हो ।

(3) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त है अथवा जब वित्त अधिकारी अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करे ।

(4) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा किन्तु उस समिति का सदस्य नहीं समझा जाएगा ।

(5) वित्त अधिकारी—

(क) विश्वविद्यालय की निधियों पर साधारण पर्यवेक्षण रखेगा और उसकी वित्तीय नीति के सम्बन्ध में उसे सलाह देगा; तथा

(ख) अन्य ऐसे वित्तीय कृत्यों का पालन करेगा जो उसे कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जाएं या जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं :

परन्तु वित्त अधिकारी दस हजार रुपए से ऊपर का कोई व्यय या विनिधान कार्य परिषद् के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं करेगा ।

(6) कार्य परिषद् के नियंत्रण के अधीन रहते हुए वित्त अधिकारी—

(क) विश्वविद्यालय की संपत्ति और विनिधानों को, जिनके अंतर्गत न्यास और विन्यास की संपत्ति भी है, धारण करेगा और उनका प्रबंध करेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य परिषद् द्वारा एक वर्ष के लिए नियत आवर्ती और अनावर्ती व्यय की सीमाओं से अधिक व्यय नहीं किया जाए और सब धन का व्यय उसी प्रयोजनार्थ किया जाए जिसके लिए वह मंजूर या आबंटित किया गया है;

(ग) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट की तैयारी के लिए तथा उनके कार्य परिषद् के समक्ष पेश किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा ;

(घ) नकद और बैंक अतिशेषों की स्थिति तथा विनिधानों की स्थिति पर बराबर नजर रखेगा;

(ङ) आमदनी के संग्रहण की प्रगति पर नजर रखेगा तथा संग्रहण करने के लिए काम में लाए जाने वाले तरीकों के विषय में सलाह देगा;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि भवनों, भूमि, फर्नीचर और उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन बनाए रखे जाएं तथा विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले सभी कार्यालयों, विशेष केन्द्रों, विशेषित प्रयोगशालाओं, महाविद्यालयों और संस्थाओं के उपस्कर तथा खपने वाली अन्य सामग्री के स्टाक की जांच की जाती हैं;

(छ) अप्राधिकृत व्यय तथा अन्य वित्तीय अनियमितताओं के बारे में स्पष्टीकरण मांगेगा तथा व्यतिक्रमी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का सुझाव देगा; तथा

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले किसी कार्यालय, केन्द्र, प्रयोगशाला, महाविद्यालय या संस्था से कोई ऐसी जानकारी या विवरणियां मांगेगा जो वह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे ।

(7) वित्त अधिकारी की या कार्य परिषद् द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों की रसीद, जो विश्वविद्यालय को संदेय किसी धन के बारे में हो, उस धन के संदाय के दायित्व से पर्याप्त रूप से उन्मोचित करेगी।

6. विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष—(1) प्रत्येक विद्यापीठ का संकायाध्यक्ष कुलपति द्वारा उस विद्यापीठ के आचार्यों में से तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और वह पुन: नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु संकायाध्यक्ष साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर उस पद पर नहीं रहेगा :

परन्तु यह और कि यदि किसी समय किसी विद्यापीठ में आचार्य नहीं है तो कुलपति या प्रतिकुलपति, यदि वह कुलपति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत है तो, विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(2) जब संकायाध्यक्ष का पद रिक्त है या जब संकायाध्यक्ष अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति उस प्रयोजनार्थ नियुक्त करे।

(3) संकायाध्यक्ष विद्यापीठ का अध्यक्ष होगा और विद्यापीठ में शिक्षा और अनुसंधान के संचालन तथा उनका स्तर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा। संकायाध्यक्ष के ऐसे अन्य कृत्य भी होंगे जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

(4) संकायाध्यक्ष को, यथास्थिति, अध्यक्ष बोर्डों या विद्यापीठों की समितियों के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने और बोलने का अधिकार होगा किन्तु जब तक वह उसका सदस्य न हो उसे उसमें मतदान करने का अधिकार न होगा।

7. विभागाध्यक्ष—(1) प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष रहेगा जो आचार्य होगा और उसके कर्तव्य और कृत्य और उसकी नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएंगी :

परन्तु यदि किसी विभाग में एक या एक से अधिक आचार्य हैं तो विभागाध्यक्ष अध्यादेशों द्वारा विहित रीति से नियुक्त किया जाएगा :

परन्तु यह और कि जिस विभाग में कोई आचार्य नहीं है उसमें उपाचार्य अध्यादेशों द्वारा विहित रीति से विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा :

परन्तु यह भी कि यदि विभाग में कोई आचार्य या उपाचार्य न हो तो सम्बन्धित संकाय का अध्यक्ष उस विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

(2) आचार्य या उपाचार्य को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को अस्वीकार करने की स्वतंत्रता होगी।

(3) विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति उस रूप में तीन वर्ष की अवधिपर्यन्त पद धारण करेगा और पुन: नियुक्ति का पात्र होगा।

(4) विभागाध्यक्ष अपनी पदावधि के दौरान किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा।

(5) विभागाध्यक्ष ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

8. छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष—(1) प्रत्येक छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष की नियुक्ति उपाचार्य से अनिम्न पंक्ति के विश्वविद्यालय के शिक्षकों में से कार्य परिषद् द्वारा कुलपति की सिफारिश पर की जाएगी।

(2) खण्ड (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक संकायाध्यक्ष पूर्णकालिक अधिकारी होगा तथा तीन वर्ष की अवधिपर्यन्त पद धारण करेगा और पुन: नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु यदि कार्य परिषद् आवश्यक समझती है तो वह कुलपति की सिफारिश पर उपाचार्य से अनिम्न पंक्ति के किसी शिक्षक को ऐसे शिक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकेगी और ऐसी दशा में कार्य परिषद् उसे दिए जाने के लिए उपयुक्त भत्ता मंजूर कर सकेगी।

(3) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति अपने मूल पद पर धारणाधिकार रखेगा और उन सब फायदों का पात्र होगा जो छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष नियुक्त न किए जाने की दशा में उसे प्रोद्भूत होते।

(4) जब छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष का पद रिक्त है अथवा जब छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में बीमारी या अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से असमर्थ है तब उसके पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति उस प्रयोजनार्थ नियुक्त करे।

(5) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के कर्तव्य और शक्तियां अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएंगी।

9. कुलानुशासक—(1) प्रत्येक कुलानुशासक की नियुक्ति कार्य परिषद् द्वारा कुलपति की सिफारिश पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे कुलपति द्वारा सौंपे जाएं।

(2) प्रत्येक कुलानुशासक दो वर्ष की अवधिपर्यन्त पद धारण करेगा और पुन: नियुक्ति का पात्र होगा।

10. पुस्तकाध्यक्ष—(1) प्रत्येक पुस्तकाध्यक्ष की नियुक्ति इस प्रयोजनार्थ गठित चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) प्रत्येक पुस्तकाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जाएं।

11. सभा के अधिवेशन—(1) सभा का वार्षिक अधिवेशन उस दशा के सिवाय जब कि किसी वर्ष के सम्बन्ध में सभा ने कोई तारीख नियत की हो, कार्य परिषद् द्वारा नियत तारीख को होगा।

(2) सभा के वार्षिक अधिवेशन में पूर्व वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यकरण की रिपोर्ट, प्राप्तियों और व्यय के विवरण यथासंपरीक्षित तुलनपत्र, और अगले वर्ष के लिए वित्तीय प्राक्कलन सहित, प्रस्तुत की जाएंगे।

(3) खंड (2) में निर्दिष्ट प्राप्तियों और व्यय का विवरण, तुलनपत्र और वित्तीय प्राक्कलन की प्रति सभा के प्रत्येक सदस्य को वार्षिक अधिवेशन की तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व भेजी जाएगी।

(4) सभा के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति बारह सदस्यों से होगी।

(5) सभा के विशेष अधिवेशन कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा, या यदि कुलपति नहीं है तो प्रतिकुलपति द्वारा, या यदि कोई प्रतिकुलपति नहीं है तो कुलसचिव द्वारा बुला लिए जाएंगे।

12. कार्य परिषद् के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति—कार्य परिषद् के अधिवेशन की गणपूर्ति पांच सदस्यों से होगी।

13. कार्य परिषद् की शक्तियां और कृत्य—(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की आमदनी और सम्पत्ति का प्रबन्ध और प्रशासन करेगी और विश्वविद्यालय के सभी ऐसे प्रशासनिक कार्यकलापों का, जिनके लिए अन्यथा उपबन्ध न हो, संचालन करेगी।

(2) इस अधिनियम, इन परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कार्य परिषद् को उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात्:—

(i) शिक्षण सम्बन्धी तथा अध्यापन पदों का सृजन करना, ऐसे पदों की संख्या तथा उनकी उपलब्धियां अवधारित करना और आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों तथा अन्य अध्यापक कर्मचारिवृन्द और विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले महाविद्यालयों तथा संस्थाओं के प्राचार्यों के कर्तव्यों तथा सेवा की शर्तों को परिनिश्चित करना :

परन्तु शिक्षकों और अध्यापक कर्मचारिवृन्द की संख्या, अर्हताओं और उपलब्धियों के सम्बन्ध में कार्य परिषद् द्वारा कोई कार्रवाई विद्या परिषद् की सिफारिशों पर विचार किए बिना नहीं की जाएगी;

(ii) आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों और अन्य अध्यापक कर्मचारिवृन्द को, जो आवश्यक हों, तथा विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जाने वाले महाविद्यालयों और संस्थाओं के प्राचार्यों को इस प्रयोजनार्थ गठित चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त करना तथा उनमें अस्थायी रिक्त स्थानों को भरना;

(iii) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा अध्यादेशों द्वारा विहित रीति में उन पर नियुक्तियां करना;

(iv) कुलाधिपति और कुलपति से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को अनुपस्थिति-छुट्टी देना तथा ऐसे अधिकारी की अनुपस्थिति में उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक इन्तजाम करना;

(v) कर्मचारियों में इन परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार अनुशासन का विनियमन करना और उसका पालन कराना;

(vi) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, संपत्ति, कामकाज तथा सभी अन्य प्रशासनिक मामलों का प्रबंध और विनियमन करना और उस प्रयोजनार्थ ऐसे अभिकर्ता नियुक्त करना जो वह ठीक समझे;

(vii) वित्त समिति की सिफारिशों पर वर्ष भर के कुल आवर्ती और कुल अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करना;

(viii) विश्व‌विद्यालय के धन को, जिसके अन्तर्गत कोई अनुपयोजित आय भी है, ऐसे स्टाकों, निधियों, शेयरों या प्रतिभूतियों में, जिन्हें वह समय-समय पर ठीक समझे या भारत में स्थावर संपत्ति खरीदने में विनिहित करना जिसमें ऐसे विनिधानों में समय-समय पर उसी प्रकार परिवर्तन करने की शक्ति भी है;

(ix) विश्वविद्यालय की ओर से जंगम या स्थावर सम्पत्ति अन्तरित करना या उसके अन्तरण को प्रतिगृहीत करना;

(x) विश्वविद्यालय के कार्य को चलाने के लिए आवश्यक भवन, परिसर, फर्नीचर और साधित्रों और अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(xi) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित करना और रद्द करना;

(xii) विश्वविद्यालय के ऐसे कर्मचारियों और छात्रों की, जो किसी कारण से अपने को व्यथित अनुभव करें, शिकायतों को ग्रहण करना, उनका न्यायनिर्णयन करना और यदि ठीक समझा जाए तो उन शिकायतों को दूर करना;

(xiii) विद्या परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् परीक्षकों और अनुसीमकों को नियुक्त करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना तथा उनकी फीसें, उपलब्धियां, यात्रा सम्बन्धी और अन्य भत्ते, नियत करना;

(xiv) विश्वविद्यालय के लिए सामान्य मुद्रा चुनना तथा उस मुद्रा की अभिरक्षा और उपयोग की व्यवस्था करना;

(xv) छात्राओं के निवास और अनुशासन के लिए ऐसे विशेष इन्तजाम करना, जो आवश्यक हों;

(xvi) अपनी शक्तियों में से किसी शक्ति को कुलपति, प्रतिकुलपतियों, कुलसचिव या वित्त अधिकारी को या विश्वविद्यालय के अन्य ऐसे कर्मचारी या प्राधिकारी को या अपने द्वारा नियुक्त की गई समिति को, जिसे वह ठीक समझे, प्रत्यायोजित करना;

(xvii) अध्येतावृत्तियां, छात्र वृत्तियां, अध्ययन वृत्तियां, पदक और पुरस्कार संस्थित करना; तथा

(xviii) अन्य ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना तथा अन्य ऐसे कर्तव्यों का पालन करना जो इस अधिनियम या इन परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त की जाएं या सौंपे जाएं।

14. विद्या परिषद् के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति—विद्या परिषद् के अधिवेशन की गणपूर्ति नौ सदस्यों से होगी।

15. विद्या परिषद् की शक्तियां—इस अधिनियम, इन परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए विद्या परिषद् को, उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों पर सामान्य पर्यवेक्षण रखना तथा शिक्षण के तरीकों, महाविद्यालय और संस्थाओं में सहकारी शिक्षा, अनुसंधानों के मूल्यांकन तथा शैक्षणिक स्तरों में सुधार के बारे में निदेश देना;

(ख) विद्यापीठों के बीच समन्वय करना तथा अन्तर्विद्यापीठ पर परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए समितियों या बोर्डों की स्थापना या नियुक्ति करना;

(ग) साधारण शैक्षणिक अभिरुचि के विषयों पर स्वप्रेरणा से अथवा किसी संकाय या कार्य परिषद् द्वारा निदेश किए जाने पर विचार करना और उस पर समुचित कार्रवाई करना; तथा

(घ) इन परिनियमों और अध्यादेशों से संगत ऐसे विनियम और नियम बनाना जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यकरण, अनुशासन, निवास, प्रवेश, अध्येतावृत्तियों और अध्ययन वृत्तियों के दिए जाने, फीस में रियायतों, सामूहिक जीवन और हाजिरी के सम्बन्ध में हों।

16. योजना बोर्ड—(1) योजना बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात् :—

(i) कुलपति, जो बोर्ड का अध्यक्ष होगा, और

(ii) आठ से अनधिक व्यक्ति जो उच्च कोटि के शिक्षाविद् हों।

(2) योजना बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी और वे ऐसी अवधिपर्यन्त पद धारण करेंगे जिसे कुलाध्यक्ष अवधारित करे।

(3) योजना बोर्ड को इस अधिनियम द्वारा उसमें निहित सब अन्य शक्तियों के अतिरिक्त किसी भी अध्ययन सम्बन्धी मामले में कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् को सलाह देने का अधिकार होगा।

(4) धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन कुलाध्यक्ष द्वारा नियत तारीख को यह परिनियम प्रभावहीन हो जाएगा।

17. विद्यापीठ और विभाग—(1) विश्वविद्यालय में उतने विद्यापीठ होंगे, जितने अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) प्रत्येक विद्यापीठ का एक विद्यापीठ बोर्ड होगा, प्रथम विद्यापीठ बोर्ड के सदस्य कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और वे तीन वर्ष के लिए पद धारण करेंगे।

(3) विद्यापीठ बोर्ड की शक्तियां और कृत्य अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएंगे।

(4) विद्यापीठ बोर्ड के अधिवेशनों का संचालन और ऐसे अधिवेशनों के लिए अपेक्षित गणपूर्ति अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी।

(5) (क) प्रत्येक विद्यापीठ में उतने विभाग होंगे जितने अध्यादेशों द्वारा उसमें रखे जाएं ;

(ख) किसी विभाग की स्थापना या समाप्ति इन परिनियमों द्वारा ही की जाएगी, अन्यथा नहीं :

परन्तु विद्या परिषद् की सिफारिश पर कार्य परिषद् अध्ययन केन्द्र स्थापित कर सकेगी जिनमें विश्वविद्यालय के ऐसे अध्यापक समनुदेशित किए जाएंगे जिन्हें कार्य परिषद् आवश्यक समझे;

(ग) प्रत्येक विभाग में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(i) विभागों में शिक्षक;

(ii) विद्यापीठ का संकायाध्यक्ष या सम्बन्धित विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष,

(iii) मानद आचार्य, यदि कोई हों, जो विभाग से संलग्न हों, तथा

(iv) अन्य ऐसे व्यक्ति जो अध्यादेशों के उपबंधों के अनुसार विभाग के सदस्य हों ;

(घ) विभाग के कृत्य अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

18. अध्ययन बोर्ड—प्रत्येक विभाग अध्ययन बोर्ड के रूप में कार्य करेगा ।

(2) खण्ड (1) में किसी बात के होते हुए भी विद्या परिषद् अध्यादेश द्वारा ऐसे अध्ययन बोर्डों को स्थापित कर सकेगी जो एकाधिक विद्या शाखा संबंधी अनुसंधान के लिए आवश्यक समझे जाएं ।

(3) अध्ययन बोर्डों के कृत्य अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

19. वित्त समिति—(1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(i) कुलपति ;

(ii) कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त प्रतिकुलपति;

(iii) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति, जिनमें से कम से कम एक कार्य परिषद् का सदस्य होगा; तथा

(iv) कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति ।

(2) वित्त समिति के अधिवेशन की गणपूर्ति उसके पांच सदस्यों से होगी ।

(3) वित्त समिति के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधिपर्यन्त पद धारण करेंगे ।

(4) यदि वित्त समिति का कोई सदस्य वित्त समिति के किसी विनिश्चय से सहमत नहीं है तो उसे विसम्मति टिप्पण लिखने का अधिकार होगा ।

(5) लेखाओं की परीक्षा और व्यय की प्रस्थापनाओं की जांच के लिए वित्त समिति का अधिवेशन वर्ष में कम से कम दो बार होगा ।

(6) वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किए गए विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और वित्तीय प्राक्कलन वित्त समिति के समक्ष विचार और टीका-टिप्पणी के लिए रखे जाएंगे और तत्पश्चात् कार्य परिषद् को अनुमोदन के लिए पेश किए जाएंगे ।

(7) वित्त समिति वर्ष में कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिए सीमाओं की सिफारिश करेगी जो विश्वविद्यालय की आय और साधनों पर आधारित होगी (जिनके अन्तर्गत उत्पादक कार्यों की दशा में उधारों के आगम भी हो सकेंगे) ।

20. चयन समितियां—(1) आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक, पुस्तकाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले महाविद्यालयों और संस्थाओं के प्राचार्यों के पदों पर नियुक्ति के लिए कार्य परिषद् से सिफारिश करने के लिए चयन समितियां होंगी ।

(2) नीचे की सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति करने के लिए चयन समिति में कुलपति, प्रतिकुलपति या यदि एक से अधिक प्रतिकुलपति हों तो कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त प्रतिकुलपति, कुलाध्यक्ष का एक नामनिर्देशिती तथा उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट व्यक्ति होंगे, और किसी विभाग में आचार्य, उपाचार्य, या प्राध्यापक की नियुक्ति की दशा में जब कोई विभागाध्यक्ष नहीं है तब योजना बोर्ड द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट व्यक्ति भी होगा :

सारणी

1	2
आचार्य	(i) सम्बन्धित विभाग का अध्यक्ष, यदि वह आचार्य है;
	(ii) एक आचार्य जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;
	(iii) तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हैं कार्य परिषद् द्वारा उन नामों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिनकी सिफारिश विद्या परिषद् द्वारा उस विषय में, जिससे आचार्य का संबंध होगा, उनके विशेष ज्ञान या रुचि के कारण की गई हो ।

1	2
उपाचार्य या प्राध्यापक	(i) सम्बन्धित विभाग का अध्यक्ष, (ii) एक आचार्य, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा; (iii) दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हैं, कार्य परिषद् द्वारा उन नामों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जिनकी सिफारिश विद्या परिषद् द्वारा, उस विषय में जिससे उपाचार्य या प्राध्यापक का संबंध होगा, उनके विशेष ज्ञान या रुचि के कारण की गई है ।
पुस्तकाध्यक्ष	(i) दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हैं, और जिन्हें पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय प्रशासन के विषय का विशेष ज्ञान है और जो कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे; (ii) एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं है और जो कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ।
विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले महाविद्यालय या संस्था का प्राचार्य	तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हैं, और जिनमें से दो व्यक्ति कार्य परिषद् द्वारा तथा एक व्यक्ति विद्या परिषद् द्वारा उनके ऐसे किसी विषय में विशेष ज्ञान या रुचि के कारण, नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिसमें उस महाविद्यालय या संस्था द्वारा शिक्षा दी जा रही है ।

टिप्पण 1—जब नियुक्ति एकाधिक विद्या शाखा सम्बन्धी परियोजना के लिए की जा रही हो तब परियोजना का प्रधान सम्बन्धित विभाग का अध्यक्ष समझा जाएगा ।

टिप्पण 2—नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला आचार्य वह आचार्य होगा जिसका सम्बन्ध उस विशिष्ट विषय से है जिसके लिए चयन किया जा रहा है और कुलपति किसी आचार्य को नामनिर्दिष्ट करने से पूर्व विभागाध्यक्ष और विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष से परामर्श करेगा ।

(3) कुलपति, या उसकी अनुपस्थिति में प्रतिकुलपति या यदि एक से अधिक प्रतिकुलपति हैं तो ज्येष्ठतम प्रतिकुलपति चयन समिति के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा ।

(4) कुलपति या उसकी अनुपस्थिति में प्रतिकुलपति या यदि एक से अधिक प्रतिकुलपति हैं तो ज्येष्ठतम प्रतिकुलपति चयन समिति के अधिवेशन बुलाएगा ।

(5) सिफारिश करने में चयन समिति द्वारा अनुसरण को जाने वाली प्रक्रिया अध्यादेशों में अधिकथित की जाएगी ।

(6) यदि कार्य परिषद् चयन समिति द्वारा की गई सिफारिश स्वीकार करने में असमर्थ हो तो वह अपने कारण अभिलिखित करेगी और मामले को अन्तिम आदेश के लिए कुलाध्यक्ष को भेजेगी ।

(7) अस्थायी पदों पर नियुक्तियां नीचे उपदर्शित रीति में की जाएंगी—

(i) यदि अस्थायी रिक्ति एक शैक्षणिक सत्र से अधिक की अवधि के लिए है तो वह चयन समिति की सलाह पर पूर्वगामी खण्डों में उपदर्शित प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएगी :

परन्तु यदि कुलपति का यह समाधान हो जाता है कि काम के हित में रिक्ति का भरा जाना आवश्यक है तो वह नियुक्ति छह महीने से अनधिक की अवधि के लिए, उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट स्थानीय चयन समिति द्वारा केवल अस्थायी आधार पर की जा सकेगी;

(ii) यदि अस्थायी रिक्ति एक वर्ष से कम की अवधि के लिए है तो उस पर नियुक्ति स्थानीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जिसमें सम्बन्धित विद्यापीठ का संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और कुलपति का एक नामनिर्देशिती होगा :

परन्तु यदि संकायाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष के पदों पर एक ही व्यक्ति है तो चयन समिति में कुलपति के दो नामनिर्देशिती हो सकेंगे :

परन्तु यह और कि मृत्यु या किसी अन्य कारण से अध्यापन पदों में अचानक होने वाली आकस्मिक रिक्तियों की दशा में संकायाध्यक्ष संबंधित विभागाध्यक्ष से परामर्श करके एक मास के लिए अस्थायी नियुक्ति कर सकेगा और ऐसी नियुक्ति के बारे में कुलपति और कुलसचिव को रिपोर्ट देगा;

(iii) यदि अस्थायी तौर पर नियुक्त किसी शिक्षक की इन परिनियमों के अधीन नियुक्ति की सिफारिश नियमित चयन समिति द्वारा नहीं की जाती है तो जब तक कि वह तत्पश्चात् स्थानीय चयन समिति या नियमित चयन समिति द्वारा, यथास्थिति, अस्थायी या स्थायी नियुक्ति के लिए न चुन लिया जाए, उसे ऐसे अस्थायी नियोजन पर सेवा में बनाए नहीं रखा जाएगा ।

21. नियुक्ति का विशेष ढंग—(1) परिनियम 20 में किसी बात के होते हुए भी कार्य परिषद् विद्या सम्बन्धी उच्च विशिष्टता तथा वृत्तिक योग्यता वाले व्यक्ति को ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, विश्वविद्यालय में आचार्य का पद स्वीकार करने के लिए आमंत्रित कर सकेगी और उस व्यक्ति के ऐसा करने के लिए सहमत होने पर उसे उस पद पर नियुक्त कर सकेगी ।

(2) कार्य परिषद् किसी संयुक्त परियोजना का जिम्मा लेने के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य करने वाले शिक्षक या किसी अन्य अध्यापक कर्मचारिवृन्द को अध्यादेशों में अधिकथित रीति के अनुसार नियुक्त कर सकेगी ।

22. नियत अवधि के लिए नियुक्ति—कार्य परिषद् परिनियम 20 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार चुने गए किसी भी व्यक्ति को नियत अवधि के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों के अनुसार, जैसे वह ठीक समझे, नियुक्त कर सकेगी ।

23. मान्यताप्राप्त अध्यापक—(1) मान्यताप्राप्त शिक्षकों की अर्हताएं ऐसी होंगी जैसी अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं ।

(2) शिक्षकों को मान्यता प्रदान करने की और ऐसी मान्यता को वापस लेने की रीति अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी ।

(3) शिक्षक की मान्यता की अवधि का अवधारण इस निमित्त बनाए गए अध्यादेशों द्वारा किया जाएगा ।

24. समितियां—विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकारी उतनी स्थायी या विशेष समितियां नियुक्त कर सकेगा जितनी वह ठीक समझे, और ऐसी समितियों में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा जो उस प्राधिकारी के सदस्य नहीं हैं । ऐसी कोई समिति किसी ऐसे विषय में कार्यवाही कर सकेगी जो उसे प्रत्यायोजित किया जाए किन्तु नियुक्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा बाद में उसकी पुष्टि की जाने की अपेक्षा होगी ।

25. विश्वविद्यालय के शिक्षकों की सेवा की शर्तें और निबन्धन—(1) विश्वविद्यालय के सब शिक्षक परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में विनिर्दिष्ट सेवा के निबन्धनों और शर्तों से शासित होंगे, जब तक तत्प्रतिकूल संविदा न हों ।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक शिक्षक लिखित संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा, जिसका प्ररूप अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाएगा । संविदा की एक प्रति कुलसचिव के पास रखी जाएगी ।

26. ज्येष्ठता सूची—(1) जब कभी इन परिनियमों के अनुसार किसी व्यक्ति को ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से कोई पद धारण करना है अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य होना है, तब उस ज्येष्ठता का अवधारण उस व्यक्ति की, उसके ग्रेड में लगातार सेवा काल के अनुसार और अन्य ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार होगा, जो कार्य परिषद् समय-समय पर विहित करे ।

(2) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह उन व्यक्तियों के प्रत्येक वर्ग की बाबत, जिन्हें ये परिनियम लागू होते हैं, एक पूरी अद्यतन ज्येष्ठता सूची खण्ड (1) के उपबंधों के अनुसार तैयार करे और बनाए रखे ।

(3) यदि दो या अधिक व्यक्तियों का किसी ग्रेड में लगातार सेवाकाल बराबर है अथवा किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों की सापेक्ष ज्येष्ठता के विषय में अन्यथा संदेह है तो कुलसचिव स्वप्रेरणा से मामला कार्य परिषद् को प्रस्तुत कर सकेगा और यदि कोई ऐसा व्यक्ति अनुरोध करे तो प्रस्तुत करेगा और उस पर कार्य परिषद् का विनिश्चय अंतिम होगा ।

27. शिक्षकों का हटाया जाना—(1) जब किसी शिक्षक या अध्यापक कर्मचारिवृन्द के सदस्य के विरुद्ध किसी अवचार का अभिकथन हो तो कुलपति, यदि ठीक समझे तो लिखित आदेश द्वारा उस शिक्षक को निलम्बित कर सकेगा और वह कार्य परिषद् को तुरन्त उन परिस्थितियों की रिपोर्ट देगा जिनमें आदेश किया गया था :

परन्तु यदि कार्य परिषद् की राय है कि मामले की परिस्थितियों में, शिक्षक या अध्यापक कर्मचारिवृन्द के सदस्य के निलम्बन के लिए समुचित आधार नहीं है तो वह उस आदेश को प्रतिसंहृत कर सकेगी ।

(2) किसी शिक्षक या अध्यापक कर्मचारिवृन्द के सदस्य की सेवा की संविदा या उसकी नियुक्ति के निबन्धनों में किसी बात के होते हुए भी कार्य परिषद् को यह हक होगा कि वह उसे अवचार के आधार पर हटा दे ।

(3) यथापूर्वोक्त के सिवाय कार्य परिषद् किसी शिक्षक या अध्यापक कर्मचारिवृन्द के सदस्य को हटाने की तभी हकदार होगी जब उसके लिए उचित कारण है, और उसे तीन मास की लिखित सूचना दे दी गई है या सूचना के बदले तीन मास का वेतन दे दिया गया है ।

(4) किसी शिक्षक या अध्यापक कर्मचारिवृन्द के सदस्य को खण्ड (2) या खण्ड (3) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे उसके बारे में की जाने के लिए प्रस्थापित कार्यवाही के विरुद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर नहीं दे दिया जाता ।

(5) शिक्षक या अध्यापक कर्मचारिवृन्द के सदस्य को हटाने के लिए कार्य परिषद् के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत की अपेक्षा होगी ।

(6) किसी शिक्षक या अध्यापक कर्मचारिवृन्द के सदस्य को हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा जब हटाने का आदेश किया जाता है :

परन्तु यदि कोई शिक्षक या अध्यापक कर्मचारिवृन्द का सदस्य हटाए जाने के समय निलम्बित है तो उसका हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा जब वह निलम्बित किया गया है ।

(7) इन परिनियमों में किसी बात के होते हुए, भी, कोई शिक्षक या अध्यापक कर्मचारिवृन्द का सदस्य कार्य परिषद् को तीन मास की लिखित सूचना देकर या उसके बदले में विश्वविद्यालय को तीन मास के वेतन का संदेय करने पर पद-त्याग सकता है ।

28. विश्वविद्यालय के शिक्षकों से भिन्न कर्मचारियों का हटाया जाना—(1) शिक्षक या अध्यापक कर्मचारिवृन्द के सदस्य से भिन्न कोई कर्मचारी, उसकी सेवा की संविदा या उसकी नियुक्ति के निबन्धनों में किसी बात के होते हुए भी, उस प्राधिकारी द्वारा, जो ऐसे कर्मचारी को नियुक्त करने के लिए सक्षम है निम्नलिखित दशाओं में हटाया जा सकेगा—

(क) यदि वह विकृतचित्त या मूक-बधिर है या सांसर्गिक कुष्ठ से पीड़ित है;

(ख) यदि वह अनुन्मोदित दिवालिया है;

(ग) यदि वह नैतिक अधमता वाले किसी अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है और उसके लिए छह मास से अन्यून के कारावास से दण्डित किया गया है;

(घ) यदि वह अन्यथा अवचार का दोषी है :

परन्तु कोई कर्मचारी अपने पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उस भाव का संकल्प कार्य परिषद् द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले अपने सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित न कर दिया गया हो ।

(2) किसी कर्मचारी को खण्ड (1) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे उसके बारे में की जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर नहीं दे दिया जाता ।

(3) जहां ऐसा कर्मचारी खण्ड (1) के उपखण्ड (ग) या उपखण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट कारण से भिन्न कारण से हटाया जाए वहां उसे या तो तीन मास की लिखित सूचना दी जाएगी या ऐसी सूचना के बदले तीन मास का वेतन दे दिया जाएगा ।

(4) इन परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी शिक्षक या अध्यापक कर्मचारिवृन्द के सदस्य से भिन्न, कोई कर्मचारी—

(i) यदि वह स्थायी कर्मचारी है तो नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को तीन मास की लिखित सूचना देने या उसके बदले विश्वविद्यालय को तीन मास का वेतन देने के पश्चात् ही पदत्याग करने का हकदार होगा;

(ii) यदि वह स्थायी कर्मचारी नहीं है तो नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को एक मास की लिखित सूचना देने या उसके बदले विश्वविद्यालय को एक मास का वेतन देने के पश्चात् ही पदत्याग करने का हकदार होगा :

परन्तु ऐसा पदत्याग उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाए ।

29. सम्मानिक उपाधियां—(1) कार्य परिषद्, विद्या परिषद् की सिफारिश पर और उपस्थित तथा मत देने वाले अपने सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प पर कुलाध्यक्ष से सम्मानिक उपाधियां प्रदान करने की प्रस्थापना कर सकेगी :

परन्तु आपात की स्थिति में कार्य परिषद् स्वयं ऐसी प्रस्थापना कर सकेगी ।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी सम्मानिक उपाधि को कार्य परिषद् उपस्थित तथा मतदान करने वाले अपने सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा कुलाध्यक्ष की पूर्व मंजूरी से वापस ले सकेगी ।

30. उपाधियों आदि का वापस लिया जाना—कार्य परिषद् उपस्थित तथा मतदान करने वाले अपने सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा और उचित तथा पर्याप्त हेतुक के आधार पर किसी व्यक्ति से उसको विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई उपाधि या विद्या सम्बन्धी विशिष्टतया या प्रमाणपत्र या डिप्लोमा वापस ले सकेगी :

परन्तु कोई ऐसा संकल्प तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति को लिखित सूचना न दे दी गई हो जिसमें उससे सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर इस बात का कारण बताने की अपेक्षा की गई हो कि ऐसा संकल्प क्यों न पारित किया जाए और जब तक कार्य परिषद् द्वारा उसकी आपत्तियों पर, यदि कोई हों, और किसी साक्ष्य पर, जो वह उनके समर्थन में प्रस्तुत करे, विचार न कर लिया गया हो ।

31. विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना—(1) छात्रों के सम्बन्ध में अनुशासन और अनुशासनिक कार्रवाई सम्बन्धी सभी शक्तियां कुलपति में निहित होंगी ।

(2) कुलपति अपनी सब शक्तियां या उनमें से कोई, जिन्हें वह ठीक समझे, कुलानुशासक और ऐसे अन्य अधिकारियों को, जिन्हें वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

(3) कुलपति की अनुशासन बनाए रखने की तथा ऐसी कार्रवाई करने की, जो उसे अनुशासन बनाए रखने के लिए समुचित प्रतीत हो, शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कुलपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि किसी छात्र या किन्हीं छात्रों को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निकाला या निष्कासित किया जाए अथवा विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय, संस्था या विभाग में किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यकमों में प्रवेश कथित अवधि तक न दिया जाए, अथवा उतने जुर्माने से दण्डित किया जाए जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो, अथवा विश्वविद्यालय या महाविद्यालय, संस्था या विभाग द्वारा संचालित परीक्षा या परीक्षाओं में सम्मिलित होने से एक या अधिक वर्षों के लिए विवर्जित किया जाए अथवा संबंधित छात्र या छात्रों का किसी परीक्षा या किन्हीं परीक्षाओं का जिनमें वह या वे सम्मिलित हुए हों, परीक्षाफल रद्द कर दिया जाए।

(4) महाविद्यालयों, संस्थाओं के प्राचार्यों, विशेष केन्दों के अध्यक्षों, विद्यापीठों के संकायाध्यक्षों तथा विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों के अध्यक्षों को यह प्राधिकार होगा कि वे अपने-अपने महाविद्यालयों, संस्थाओं, केन्द्रों, विशेष केन्द्रों और विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों में छात्रों पर ऐसी अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करें जो उन महाविद्यालयों, संस्थाओं, विशेष केन्द्रों, विद्यापीठों और विभागों में अध्यापन के उचित संचालन के लिए आवश्यक हैं।

(5) कुलपति, प्राचार्यों और खण्ड (4) में विनिर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि अनुशासन तथा उचित आचरण सम्बन्धी विस्तृत नियम विश्वविद्यालय द्वारा बनाए जाएंगे। महाविद्यालयों, संस्थाओं के प्राचार्य, विशेष केन्द्रों के अध्यक्ष, विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग के अध्यक्ष भी ऐसे अनुपूरक नियम बना सकेंगे जिन्हें वे पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझें। प्रत्येक छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार बनाए गए नियमों की एक प्रति दी जाएगी और अनुपूरक नियमों की एक प्रति सम्बन्धित छात्रों को दे दी जाएगी।

(6) प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह इस भाव की घोषणा पर हस्ताक्षर करे कि वह अपने को कुलपति की तथा विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों की अनुशासनिक अधिकारिता के अधीन करता है।

32. दीक्षान्त समारोह—उपाधियां प्रदान करने तथा अन्य प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह ऐसी रीति से किए जाएंगे जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाए।

33. अधिवेशनों का कार्यकारी अध्यक्ष—जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को या ऐसे प्राधिकारी की किसी समिति की अध्यक्षता करने के लिए किसी सभापति या अध्यक्ष का उपबन्ध नहीं किया गया है अथवा जिस सभापति या अध्यक्ष के लिए इस प्रकार का उपबन्ध किया गया है वह अनुपस्थित है तो उपस्थित सदस्य ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक को निर्वाचित कर लेंगे।

34. पदत्याग—सभा, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् या विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी का या ऐसे प्राधिकारी की किसी समिति के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य कुलसचिव को सम्बोधित पत्र द्वारा पदत्याग सकेगा और वह त्यागपत्र कुलसचिव को प्राप्त होते ही प्रभावी हो जाएगा।

35. निरर्हताएं—(1) कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में से किसी का सदस्य चुने जाने और होने के लिए निरर्हित होगा—

(क) यदि वह विकृतचित्त है या मूकबधिर है या सांसर्गिक कुष्ठ से पीड़ित है;

(ख) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है;

(ग) यदि वह नैतिक अधमता वाले किसी अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है और उसकी बाबत छह मास से अन्यून के कारावास से दण्डित किया गया है।

(2) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति खण्ड (1) में वर्णित निरर्हताओं के अधीन है या रहा था तो वह प्रश्न कुलाध्यक्ष के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा तथा ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं होगी।

36. सदस्यता और पद के लिए निवास की शर्त होना—इन परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो मामूली तौर पर भारत में निवासी नहीं है, विश्वविद्यालय का अधिकारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य होने का पात्र नहीं होगा।

37. अन्य निकायों की सदस्यता के आधार पर प्राधिकारियों की सदस्यता—इन परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, जो व्यक्ति किसी विशिष्ट प्राधिकारी या निकाय का सदस्य होने की हैसियत से या किसी विशिष्ट नियुक्ति पर होने की हैसियत से विश्वविद्यालय में कोई पद धारण कर रहा है या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का सदस्य है वह, केवल तब तक ऐसा पद या सदस्यता धारण करेगा जब तक वह, यथास्थिति, उस विशिष्ट प्राधिकारी या निकाय का सदस्य या उस विशिष्ट नियुक्ति पर बना रहे।

38. अध्यादेशों का बनाया जाना—(1) धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन बनाए गए प्रथम अध्यादेश नीचे विनिर्दिष्ट रीति में कार्य परिषद् द्वारा किसी भी समय संशोधित, निरसित या परिवर्धित किए जा सकेंगे।

(2) धारा 26 में प्रगणित मामलों के बारे में, जो उस धारा की उपधारा (1) के खण्ड (ण) में वर्णित मामलों से भिन्न हैं कार्य परिषद् द्वारा कोई अध्यादेश तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित नहीं किया जाता ।

(3) कार्य परिषद् को इस बात की शक्ति नहीं होगी कि वह विद्या परिषद् द्वारा खण्ड (2) के अधीन प्रस्थापित किसी अध्यादेश के प्रारूप में संशोधन को किन्तु वह प्रस्थापना को नामंजूर कर सकेगी या विद्या परिषद् के पुनर्विचार के लिए उस सम्पूर्ण प्रारूप को या उसके किसी भाग को, उन किन्हीं संशोधनों सहित जिनका सुझाव कार्य परिषद् करे, उस वापस भेज सकेगी ।

(4) जहां कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित किसी अध्यादेश के प्रारूप को नामंजूर कर दिया है या उसे वापस कर दिया है वहां विद्या परिषद् उस प्रश्न पर नए सिरे से विचार कर सकेगी और उस दशा में जब मूल प्रारूप उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई और विद्या परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक बहुमत से अभिपुष्ट कर दिया जाता है तब प्रारूप कार्य परिषद् को वापस भेजा दिया जाएगा जो या तो उसे मान लेगी या उसे कुलाध्यक्ष को निर्दिष्ट कर देगी, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(5) कार्य परिषद् द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

(6) कार्य परिषद् द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश उसे मान लिए जाने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा । अध्यादेश की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर कुलाध्यक्ष को किसी ऐसे अध्यादेश के प्रवर्तन को निलम्बित करने का निदेश देने की शक्ति होगी और वह प्रस्थापित अध्यादेश से सम्बन्धित अपनी आपत्ति के बारे में कार्य परिषद् को यथाशक्यशीघ्र सूचित करेगा । विश्वविद्यालय से टिप्पण प्राप्त कर लेने के पश्चात् कुलाध्यक्ष या तो अध्यादेश का निलम्बन करने वाले आदेश को वापस ले लेगा या अध्यादेश को नामंजूर कर देगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

39. विनियम—(1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी इस अधिनियम, इन परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकेंगे जो—

(क) अधिवेशनों में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्य संख्या अधिकथित करे ;

(ख) उन सब विषयों के लिए उपबन्ध करें जो इस अधिनियम, इन परिनियमों या अध्यादेशों के अनुसार विनियमों द्वारा विहित किए जाने के लिए अपेक्षित है;

(ग) उन सब विषयों के लिए उपबन्ध करे जो केवल ऐसे प्राधिकारियों से या उनके द्वारा नियुक्त समितियों से सम्बन्धित हों और जिनके लिए इस अधिनियम, इन परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध न किया गया हो ।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी ऐसे विनियम बनाएगा जो उस प्राधिकारी के सदस्यों को उसके अधिवेशनों की तारीख की तथा उसके अधिवेशनों के विचारार्थ कार्य की सूचना देने तथा अधिवेशनों की कार्यवाहियों का अभिलेख रखने के लिए उपबन्ध करें ।

(3) कार्य परिषद् इस परिनियम के अधीन बनाए गए किसी विनियम के ऐसी रीति से, जिसे वह विनिर्दिष्ट करे, संशोधन का या ऐसे किसी विनियम के निष्प्रभाव होने का, निदेश दे सकेगी ।

40. शक्तियों का प्रत्यायोजन—इस अधिनियम और इन परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या प्राधिकारी अपनी कोई शक्ति अपने नियंत्रण में के किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी या व्यक्ति को इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित कर सकेगा कि इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्ति के प्रयोग का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ऐसी शक्ति का प्रत्यायोजन करने वाले अधिकारी या प्राधिकारी पर बना रहेगा ।

———